



Hindi

आपके कार्यस्थल पर बहुत अधिकार हैं लेकिन सिर्फ जीएमबी यह निश्चित कर सकते हैं कि वे आपको मिले

जब आप काम पर जाते हैं, तो आपके कई अधिकार हैं। इन अधिकारों के पीछे कानून होते हैं जो आपके कार्यस्थल और आपकी नौकरी पर लागू होते हैं लेकिन अधिकतर कानूनों को तोड़ा जाता है या उनकी अवगणना की जाती है, इसलिए जब तक आप जीएमबी के सदस्य न हों, आप कैसे निश्चित करेंगे कि आपके अधिकारों की सुरक्षा हो रही है।

- अगर आप किसी कुशलता वाले उद्योग में कार्यरत हों जैसे कि इंजिनियरी, जहाज निर्माण या निर्माण या किसी अन्य जगह जोकि राष्ट्रीय बार्गेनिंग समझौते के अंतरगत आते हों, तो आपको अधिकार है कि आपको उन समझौतों में तय वेतन, अवकाश, ओवरटाइम, बोनस अने दूसरे लाभ मिलें।
- आपको कमसे कम £6.08 वेतन मिलना चाहिए (अगर आपकी आय 22 के उपर है) और £4.98 अगर आप 18 और 21 के बिच हैं, जोकि हर घंटे के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय आय है। इस आंकड़े को हर साल सरकार 1 ओक्टोबर को तय करती है।
- आपको हर साल कमसे कम 5.6 सप्ताह (जो सप्ताह में 5 दिन काम करने वाले व्यक्ति के लिए 28 दिन बनता है) वेतन के साथ अवकाश मिलना चाहिए।
- आपको हर छह घंटे के बाद 20 मिनट और दो शिफ्ट के बिच 11 घंटे का आराम मिलना चाहिए।
- अगर आप न चाहें, तो आपको सप्ताह में 48 घंटों के अधिक काम करने के बाध्य नहीं किया जा सकता।
- आपको रोजगार का लिखित कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, जिसमें आपकी नौकरी, आपके कार्यकारी घंटे, वेतन और अवकाश के विवरण होने चाहिए।
- आपको अधिकार है कि आप एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल में कार्य करें
- आपको अधिकार है कि आपको कार्य करने के लिए सही समय पर सही रकम मिले।
- आपको अधिकार है कि आप अपने प्रतिनिधित्व करने और अपनी ओर से बातचित करने के लिए एक ट्रेड यूनियन के सदस्य बनें।
- आपको अधिकार है कि आपके कार्यस्थल पर आपकी ट्रेड यूनियन आपका प्रतिनिधित्व करे और बातचित करे।
- आपको अधिकार है कि आपके कार्यस्थल पर शिस्त संबंधी कार्यवाही में आपकी ट्रेड यूनियन आपका प्रतिनिधित्व करे-चाहे आपका मालिक उस यूनियन को न मानें।
- आपको अधिकार है कि ट्रेड यूनियन की सदस्यता लेने के लिए आपका शोषण न हो। यूनियन का सदस्य बनने के लिए या संपर्क करने के लिए नौकरी से निकालना गैरकानूनी है।

- आपको अधिकार है कि आप अपने कार्यस्थल पर यूनियन को स्वीकृत करायें—अगर अधिकतर कर्मचारी इससे सहमत हैं।
- आपको अधिकार है कि आपको ग़लत तरीके से नौकरी से निकाला न जाये। आपके मालिक को आपको £50,000 तक का भुगतान करना पड़ सकता है अगर आपको ग़लत तरीके से नौकरी से निकाला गया।
- अगर आप जीएमबी ट्रेड यूनियन के सदस्य बनेंगे, तो आपको यह अधिकार मिलने की अधिक संभावना है। हम ब्रिटेन की जनरल यूनियन हैं। हमारे सदस्य कई उद्योगों में कार्यरत हैं, जिसमें इंजिनियरी, जहाज निर्माण और मरम्मत, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा और स्थानीय सरकार शामिल हैं।

वेबसाइट पर www.gmb.org.uk/join तुरंत सदस्य बनें या नीचे के संपर्क विवरण इस्तेमाल करें

टेलिफ़ोन: 020 8947 3131

पता: GMB, 22-24 Worple Road, London, SW19 4DD

इमेल: info@gmb.org.uk

वेबसाइट: www.gmb.org.uk

जीएमबी के साथ ऑनलाइन www.gmb.org.uk/Join जुड़ें



English

YOU HAVE MANY RIGHTS AT WORK BUT ONLY GMB CAN MAKE SURE YOU GET THEM

You have many rights when you go to work. These rights are backed up by laws that apply wherever you work and whatever job you do but laws are broken and ignored all the time so unless you belong to GMB how will you make sure your rights are enforced.

- If you are working in a skilled industry such as engineering, shipbuilding or construction, or anywhere that is covered by national bargaining agreements then you are entitled to the rates of pay, holidays, overtime, bonuses and other premia set out in those agreements.
- You must be paid at least £6.08 (if you are over 22) and £4.98 if you are aged between 18 and 21, the National Minimum Wage for each hour you work. This figure is set by the Government on October 1st every year.
- You must have at least 5.6 weeks (equivalent to 28 days for someone working 5 days a week) paid holiday each year.
- You must have a 20 minute break after six hours work and 11 hours break between shifts.
- You cannot be forced to work more than 48 hours a week if you do not want to.
- You must have a written contract of employment that includes details of your job, your hours, pay and holidays.
- You have the right to work in a safe and healthy workplace
- You have the right to be paid the correct amount, on time that you have earned.
- You have the right to join a trade union to represent you and negotiate on your behalf.
- You have the right to be represented at work by your trade union to represent you and negotiate on your behalf.
- You have the right to be represented at work by your trade union at a disciplinary hearing - even if your employer does not recognise the union.
- You have the right not to be victimised for joining a trade union. It is against the law for you to be sacked for being in a union or for contacting a union.
- You have the right to get a union recognised where you work - if a majority of the workforce agree.
- You have a right against being sacked unfairly. Your employer could be made to pay you up to £50,000 if you are unfairly sacked.
- You are more likely to get these rights if you belong to the GMB trade union. We are Britain's General union. Our members work in many industries including engineering, shipbuilding and repair, construction, the health service and local government.

Join immediately at www.gmb.org.uk/join or use the contact details below

Telephone: 020 8947 3131

Address: GMB, 22-24 Worple Road, London, SW19 4DD

Email: info@gmb.org.uk

Website: www.gmb.org.uk

Join GMB online at www.gmb.org.uk/Join